



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ७, अंक ३]

गुरुवार, मार्च ४, २०२१/फाल्गुन १३, शके १९४२

[पृष्ठे १३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवाँ संस्करण) के नियम ११६ (१) के प्रथम परंतुक के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. III OF 2021.

A BILL

**THE AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN
FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF
THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR
ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2021.**

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३ सन् २०२१।

**विधेयक जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२१ के इकतीसवें दिन को
समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की
अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।**

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२१ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय रकमों के विनियोग के लिये यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये ; इसलिए, भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :-

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०२१ कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

राज्य की संचित
निधि में से वित्तीय
वर्ष २०२०-२०२१
के लिये,
२ खरब,
१० अरब,
७६ करोड़,
३२ लाख,
३६ हजार
रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर दो खरब, दस अरब, छिहत्तर करोड़, बत्तीस लाख, छत्तीस हजार रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में बताये हुए कार्यों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में, सन् २०२१ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले व्ययों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेंगी।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२१ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, कार्यों तथा उद्देश्यों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची
(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च ४, २०२१/फाल्गुन १३, शके १९४२						३
अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमोंक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)	रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी			
			विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल	
क—राजस्व लेखे पर व्यय						
सामान्य प्रशासन विभाग						
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	{ २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। }	२,०००		२,०००	
			२,०००		२,०००	
गृह विभाग						
बी-१	पुलिस प्रशासन।	{ २०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। }	१,०००		१,०००	
बी-३	परिवहन प्रशासन।	{ २०४१, वाहनों पर कर। ३०५५, सड़क परिवहन। ३०५६, आंतरजलीय परिवहन। }	१,०००		१,०००	
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ।	{ २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। }	१,०००		१,०००	
			३,०००		३,०००	
कुल—गृह विभाग।						

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	राजस्व तथा वन विभाग २०२९, भू-राजस्व । २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क । २०५३, जिला प्रशासन । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ।	१,०००	१,०००
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२१७, नगरविकास । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	१,०००	१,८०,९६,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत ।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत ।	२,४२,२५,६१,०००	२,४२,२५,६१,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग ।	२,४२,२५,६३,०००	२,४४,०६,५९,०००
डी-३	कृषि सेवाएँ ।	कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा । २४०३, पशुपालन ।	५,०००	५,०००
डी-४	पशुपालन ।	२४०३, पशुपालन ।	३,०००	३,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग ।	२४०५, मत्स्य उद्योग ।	१३,०००	१३,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग ।	२१,०००	२१,०००

विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग

इ-२ सामान्य शिक्षा।	..	२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	७,०००		७,०००
	..	कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	..	७,०००		७,०००

वित्त विभाग

जी-१ विक्रय कर प्रशासन।	..	२०२०, आय तथा व्यय पर कर संग्रहण। २०४०, विक्रय, व्यापार आदि, पर कर। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। २०४८, ऋण कमी करने या परिहार के लिए विनियोग २०४९, ब्याज अदायगी।	..	१,०००		१,०००
-------------------------	----	--	----	-------	------	-------

जी-६ पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति के लाभ।	..	२०७१, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।	..	२६,५०,६०,८३,०००		२६,५०,६०,८३,०००
	..	कुल—वित्त विभाग।	..	२६,५०,६०,८४,०००		२६,५०,६०,८४,०००

लोकनिर्माण कार्य विभाग

एच-६ लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	..	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग।	..	१,०००		१,०००
---	----	---	----	-------	------	-------

कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।

..	..	१,०००		१,०००
----	----	-------	------	-------

जलस्रोत विभाग

आय-१ ब्याज अदायगीयों।	..	२०४९, ब्याज अदायगीयों।	..	८७,५५,००,०००		८७,५५,००,०००
	..	कुल—जलस्रोत विभाग।	..	८७,५५,००,०००		८७,५५,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
जे-१	न्याय प्रशासन ।	विधि तथा न्याय विभाग .. { २०१४, न्याय प्रशासन । २०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ ।	१३,०००	१३,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग ।	१३,०००	१३,०००
के-६	ऊर्जा ।	उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग { २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ ।	५,६१,१३,६४,०००	५,६१,१३,६४,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग ।	५,६१,१३,६४,०००	५,६१,१३,६४,०००
एल-१	ब्याज अदायगियाँ ।	ग्रामविकास विभाग .. { २०४९, ब्याज अदायगियाँ । २०५३, जिला प्रशासन ।	१,५८,२१,०००	१,५८,२१,०००
एल-२	जिला प्रशासन ।	कुल—ग्रामविकास विभाग ।	१९,६८,१६,०००	१९,६८,१६,०००
			१९,६८,१६,०००	२१,२६,३७,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ ।	खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग { ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ । ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ ।	१,०००	१,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।	१,०००	१,०००

सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च ४, २०२१/फाल्गुन १३, शके १९४२

७

एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	..	२,०००	२,०००
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		..	..
		२२११, परिवार कल्याण।		..	..
		२२१५, जलआपत्ति तथा स्वच्छता।		..	..
		२२१७, नगरविकास।		..	..
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		२,०००	२,०००
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।		..	..
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		..	..
		२२३६, पोषण।		..	..
		२४०१, कृषि कर्म।		..	..
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।		..	..
		२४०३, पशुपालन।		..	..
		२४०५, मत्स्योद्योग।		..	..
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		..	..
		२४०८, खाद्यान्न गोदाम तथा भण्डारकरण।		..	..
		२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम।		..	..
		२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		..	..
		२५०५, ग्राम नियोजन।		..	..
		२८०१, विद्युत।		..	..
		२८१०, नवीन तथा नविकरणीय उर्जा।		..	..
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		..	..
		२८५२, उद्योग।		..	..

कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।

२,०००

२,०००

..

..

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	५,०००	५,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	५,०००	५,०००
चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग				
एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	८,०००	८,०००
			८,०००	८,०००
जनजाति विकास विभाग				
टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०४, झीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग।	५,०००	५,०००

२४०६, वन तथा वन्यजीवन ।
 २४२५, सहकारिता ।
 २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम ।
 २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।
 २५०५, ग्राम नियोजन ।
 २७०२, लघु सिंचाई ।
 २८०१, विद्युत ।
 २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुद्योग ।
 २८५२, उद्योग ।
 ३०५४, सरक तथा पुल ।
 ३०५५, सड़क परिवहन ।

कुल—जनजाति विकास विभाग ।

५,०००

५,०००

५,०००

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

डब्ल्यू-२ सामान्य शिक्षा ।

.. २२०२, सामान्य शिक्षा ।

१,०००

१,०००

१,०००

कुल— उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

१,०००

१,०००

१,०००

महिला तथा बाल विकास विभाग

एक्स-१ सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण ।

{ २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।
 २२३६, पोषण ।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन ।

४५,४६,५३,०००

४५,४६,५३,०००

४५,४६,५३,०००

कुल— महिला तथा बाल विकास विभाग ।

४५,४६,५३,०००

४५,४६,५३,०००

४५,४६,५३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
		कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग	रुपये	रुपये
जेड-क-२	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०३, तकनीकी शिक्षा। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीव।	२,०००	२,०००
		कुल— कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग।	२,०००	२,०००
		कुल — क-राजस्व लेखे पर व्यय।	३५,१९,१५,५१,०००	९०,९४,१७,०००
		कुल — ३६,१९,१५,५१,०००	३६,१९,१७,०००	३६,१९,१७,०००
ख—पूँजीगत लेखे पर व्यय				
डी-१	मत्स्य उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय।	४४०५, कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग ६४०५, मत्स्य उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय। ६४०५, मत्स्य उद्योग के लिए कर्ज।	१,०००	१,०००
		कुल— कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	१,०००	१,०००
एफ-७	नगर विकास के लिए कर्ज।	नगरविकास विभाग		
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।	८,२६,६८,९८,०००	८,२६,६८,९८,०००
		कुल—नगर विकास विभाग।	८,२६,६८,९८,०००	८,२६,६८,९८,०००
जी-१	लोक ऋण तथा अन्तर राज्य समझौता।	वित्त विभाग		
		६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण। ६००४, केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम। ७८१०, अंतर राज्य समझौता।	१,६२,००,००,०००	१,६२,००,००,००,०००
		कुल—वित्त विभाग।	१,६२,००,००,००,०००	१,६२,००,००,००,०००

एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६, ४७११, ५०५४,	लोक निर्माण कार्य विभाग आवास पर पूंजीगत परिव्यय। बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,०००	...	१,०००
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, ४२०२, ४२१०, ४२१७, ४२२५, ४२३५, ४२५०,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय कर्ज।	..	८,०००	२४,१५,००,०००	२४,१५,०८,०००
कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।				..	१,०००	२४,१५,००,०००	२४,१५,०९,०००
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, ४७०१, ४७०२, ४७११, ४८०१,	जलस्रोत विभाग मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	४,००,००,०२,०००	...	४,००,००,०२,०००
आय-६	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	..	...	७,०००	७,०००
कुल—जलस्रोत विभाग।				..	४,००,००,०२,०००	७,०००	४,००,००,०९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग	रुपये	रुपये
के-११	ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय।	४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज।	१५,३८,५१,०००	१५,३८,५१,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	१५,३८,५१,०००	१५,३८,५१,०००
		ग्रामविकास विभाग		
एल-७	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१६, आवास के लिए कर्ज।	१,०००	१,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग।	१,०००	१,०००
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग		
एस-४	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	१,०००	१,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	१,०००	१,०००
		कुल—ख-पूँजीगत लेखे पर व्यय।	१२,४२,०७,६१,०००	१,७४,६६,२२,६८,०००
		कुल योग।	४७,६१,२३,१२,०००	२,१०,७६,३२,३६,०००

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

प्रस्तुत विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ के अनुसरण में, राज्य की समेकित निधि में से, वर्ष २०२०-२०२१ के संबंध में कतिपय सेवाओं तथा प्रयोजनों पर अनुपूरक व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोग का उपबंध करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

रकमें नीचे दिखायी गई हैं :—

		रुपये
(क) राजस्व व्यय	. .	३६,१०,०९,६८,०००
(ख) पूँजीगत व्यय	. .	१,७४,६६,२२,६८,०००
कूला	. .	२,१०,७६,३२,३६,०००

मुंबई,
दिनांकित ४ मार्च, २०२१।

अजित पवार,
उप-मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।